निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता और नैतिकता

विषय-सूची

1. प्रस्तावना 2
2. परिभाषा 2
3. संहिता की प्रयोज्यता 3
4. आचरण के लिए दिशानिर्देश 3
5. संहिता के अनुपालन के लिए घोषणा 4
6. इस संहिता का अनुपालन न करने के परिणाम 5
7. समीक्षा/संशोधन प्रक्रिया 5

6 जून, 2018 को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित और अंतिम बार 30 जुलाई, 2024 को संशोधित किया गया

1. प्रस्तावना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (5) में प्रावधान है कि निदेशक मंडल निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और सूचीबद्ध इकाई के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता निर्धारित करेगा और आचार संहिता में कंपनी अधिनियम में निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्यों को उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा। 2013.

सेबी विनियमों के अनुपालन में, यह '**इंडियामार्ट इंटरमेश लिमिटेड - निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता**' को 6 जून, 2018 को इंडियामार्ट इंटरमेश लिमिटेड ("कंपनी") के निदेशक मंडल द्वारा तैयार, अनुमोदित और अपनाया गया है।

2. परिभाषा

संहिता के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित शब्दों के अर्थ उन्हें इसके अंतर्गत सौंपे गए होंगे:

1. "**बोर्ड**" कंपनी के निदेशक मंडल का मतलब है;

2. "**कोड**" का अर्थ होगा इंडियामार्ट इंटरमेश लिमिटेड - समय-समय पर संशोधित निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता;

3. "**अनुपालन अधिकारी**" का अर्थ है कंपनी के कंपनी सचिव यदि वह बोर्ड द्वारा अनुपालन अधिकारी के रूप में भी नामित किया गया है और कोई वरिष्ठ अधिकारी, जो कोड के अनुपालन के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा नामित किया गया है;

4. "**निदेशक**" बोर्ड के एक सदस्य का मतलब है;

5. "**इंडियामार्ट**" या "**कंपनी**" का अर्थ है इंडियामार्ट इंटरमेश लिमिटेड;

6. "**सेबी लिस्टिंग विनियम**" का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015;

7. "**वरिष्ठ प्रबंधन**" का अर्थ होगा कंपनी के अधिकारी / कर्मचारी जो निदेशक मंडल को छोड़कर कोर प्रबंधन टीम के सदस्य हैं और प्रबंधन के सभी सदस्यों को "मुख्य कार्यकारी अधिकारी / प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक / प्रबंधक (मुख्य कार्यकारी अधिकारी / प्रबंधक सहित, यदि वे बोर्ड का हिस्सा नहीं हैं) से एक स्तर नीचे शामिल करेंगे और विशेष रूप से कंपनी सचिव और मुख्य वित्तीय अधिकारी शामिल होंगे।

3. संहिता की प्रयोज्यता

यह संहिता कंपनी के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन पर लागू होती है।

कंपनी के स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 और अनुसूची IV द्वारा निर्धारित कुछ अतिरिक्त कर्तव्यों के अधीन हैं।

4. आचरण के लिए दिशानिर्देश

प्रत्येक निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक कंपनी द्वारा प्रदत्त अधिकार के भीतर और लागू कानून के तहत, कंपनी के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगा और निम्नलिखित का पालन करेगा और करेगा:

- कंपनी के सर्वोत्तम हित में कार्य करें और कंपनी के प्रति अपने प्रत्ययी दायित्वों को पूरा करें।
- खुद को पेशेवर, विनम्र और सम्मानजनक तरीके से आचरण करें और अपनी स्थिति के अनुचित लाभ के लिए नहीं।
- ईमानदारी, निष्पक्ष, नैतिक और अखंडता के साथ कार्य करें।
- सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करना;
- सेबी लिस्टिंग नियमों और अन्य लागू प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी द्वारा तैयार की गई सभी नीतियों, दिशानिर्देशों और कोड का पालन करना;
- कंपनी की प्रतिभूतियों के लेन-देन में परोक्ष लेन-देन की रोकथाम के लिए आचार संहिता का अनुपालन करना ।

- व्यक्तिगत लाभ के लिए कंपनी की संपत्ति या स्थिति का उपयोग न करें और इसका उपयोग केवल वैध व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए।

- हितधारक के उपहारों या अन्य लाभों को स्वीकार नहीं करना या देना जो सामान्य सामाजिक संभोग में प्रथागत नहीं हैं।
-
- अच्छे विश्वास में कार्य करें, उचित देखभाल, क्षमता और परिश्रम के साथ जिम्मेदारी से, उनके स्वतंत्र निर्णय को अधीनस्थ होने की अनुमति दिए बिना।
-
- निदेशक या वरिष्ठ प्रबंधन के रूप में उनके द्वारा प्राप्त किसी भी जानकारी या अवसर का उपयोग इस तरीके से नहीं करना चाहिए जो कंपनी के हितों के लिए हानिकारक हो।

- कंपनी की प्रतिष्ठा को बढ़ाने और बनाए रखने के तरीके से कार्य करना।

- नैतिक मानकों की संस्कृति बनाने, बनाए रखने और लागू करने और कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं और अनुपालन के प्रति प्रतिबद्धता में मदद करें।

- कंपनी की संपत्ति/परिसंपत्तियों के साथ-साथ कंपनी को सौंपी गई अन्य संगठन की संपत्ति/परिसंपत्तियों के लिए ट्रस्टी के रूप में कार्य करना।

- किसी भी गैरकानूनी और अनैतिक व्यवहार, किसी भी वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी / कंपनी की संपत्ति की चोरी की तुरंत रिपोर्ट करें।

- किसी भी व्यक्तिगत हित का खुलासा करना और बोर्ड के समक्ष आने वाले किसी भी मामले पर चर्चा, मतदान या अन्यथा निर्णय को प्रभावित करने से बचना जिसमें उनका संघर्ष या संभावित हितों का टकराव हो सकता है।

- निदेशक या वरिष्ठ प्रबंधन के रूप में अपनी सेवा के दौरान प्राप्त गोपनीय जानकारी का उपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए या किसी अन्य संस्था के लाभ के लिए न करें।

- कंपनी की सभी गोपनीय जानकारी या कंपनी के किसी भी ग्राहक, आपूर्तिकर्ता या व्यावसायिक सहयोगी की गोपनीयता बनाए रखना, जिसके लिए गोपनीयता बनाए रखने के लिए कंपनी का कर्तव्य है, सिवाय इसके कि जब प्रकटीकरण अधिकृत या कानूनी रूप से अनिवार्य हो।

5. संहिता के अनुपालन के लिए घोषणा

लिस्टिंग विनियमों के संदर्भ में, सभी बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक वित्तीय वर्ष के बंद होने के 30 दिनों के भीतर वार्षिक आधार पर कोड के अनुपालन की पुष्टि करेंगे। वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट अनुलग्नक - I में दिए गए प्रारूप के अनुसार होगी।

कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों से अनुपालन की पुष्टि प्राप्त करने के बाद प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा शामिल होगी।

यदि किसी निदेशक/वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक का संहिता के प्रावधानों के संबंध में कोई प्रश्न है तो वह सही भावना से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन अधिकारी से परामर्श करेगा।

यदि कोई निदेशक/वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय कंपनी छोड़ता है तो वह कंपनी के साथ अपने सहयोग की तारीख तक संहिता के अनुपालन की पुष्टि करते हुए कंपनी को एक पत्र भेजेगा।

छः इस संहिता का अनुपालन न करने के परिणाम

निदेशकों और/या वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा इस संहिता का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में, निदेशक मंडल द्वारा उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए उन पर कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि वे उचित और उचित समझें।

सात समीक्षा/संशोधन

इस नीति की बोर्ड द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह कानून की आवश्यकताओं और कंपनी की जरूरतों को पूरा करती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 या लिस्टिंग विनियम या किसी अन्य वैधानिक अधिनियमों ("विनियम") और इस नीति के प्रावधानों के बीच किसी भी संघर्ष की स्थिति में, विनियम इस नीति पर प्रबल होंगे। इस संबंध में

विनियमों में कोई भी बाद का संशोधन/संशोधन, इस नीति पर स्वतः लागू होगा और बाद में निदेशक मंडल द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी।

अनुलग्नक – I

आचार संहिता के साथ निदेशक/वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा पुष्टि

मैं, _____ (निदेशक / वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक), एतद्द्वारा स्वीकार करता हूं कि मैंने निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता और नैतिकता प्राप्त की है और पढ़ा है।

मैं एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, मैंने 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन किया है .

दस्तख़त देखिए।: _____

नाम: _____

औहदा: _____

खजूर: _____

स्थान: _____

** प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना है।*